(प्रथम–विज्ञापन)

कार्यालय प्रधानाचार्य:: राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, (उरई) 285001

पत्रांक संख्या–314/विज्ञाप्ति/रा0मे0का0जा0/अधि0–1/2025 दिनांक–21/01/2025

विज्ञाप्ति–सूचना

राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सा महाविधालय जालौन, (उरई) के विभिन्न विभागो में आचार्य, सह–आचार्य, एवं सहायक आचार्य (संविदा) के रिक्त पदो पर आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते हैं, साक्षात्कार (वाक् इन इंटरव्यू) विज्ञप्ति तिथि से 15 दिनो के उपरान्त एन0एम0सी0 के मानको अनुसार समस्त शैक्षिण/अनुभव/आई0डी0/02 फोटो आदि, पत्रो के साथ माह के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, (उरई) के केन्द्रीय पुस्तकालय में सम्पन्न होता रहेगा। उक्त विज्ञापन को राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, (उरई) की वेबसाइट–**www.gmcjalaun.com** पर भी उपलब्ध हैं। रिक्तियों का विवरण निम्नवत हैं–

क्र0 स0	विभाग का नाम	विभागवार रिक्त पद								
		आचार्य			सह–आचार्य			सहायक आचार्य		
		SC/ST	OBC	GEN	SC/ST	OBC	GEN	SC/ST	OBC	GEN
01	आब्स एण्ड गायनी	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	आब्स एण्ड गायनी (एम0सी0डब्लू0ओ0)	–	–	–	–	–	–	–	–	1
02	एनाटॉमी विभाग	1	–	–	–	–	–	–	–	–
03	एनेस्थीसिया विभाग	–	–	–	–	–	–	–	1	1
04	ओटोराइनो लैरिंगोलॉजी विभाग (ई0एन0टी0 विभाग)	–	–	1	–	–	1	–	–	
05	कम्युनिटी मेडिसिन	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	कम्युनिटी मेडिसिन (एपिडि0 कम सहा0 आचार्य)	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	कम्युनिटी मेडिसिन(एम0ओ0यू0एच0टी0सी0 कम सहा0 आचार्य)	–	–	–	–	–	–	–	–	1
06	जनरल मेडिसिन	–	–	–	–	1	–	1	1	1–1*
07	जनरल सर्जरी	–	1	–	–	–	–	–	–	–
08	टी0वी एण्ड चेस्ट	–	–	1	–	–	–	–	1	–
09	डमैटोलॉजीवेनरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी विभाग (चर्म रोग विभाग)	1	–	–	–	–	1	–	–	–
10	डेन्टल (दन्तरोग विभाग)	–	–	1	–	–	–	–	–	–
11	पैथोलॉजी विभाग	–	1	–	1	–	–	–	–	1
12	फार्माकोलॉजी विभाग	–	–	1	–	–	–	–	–	–
13	फिजिकल मेडिसिन पी0एम0आर0	–	1	–	–	–	–	–	–	–
14	फिजियोलॉजी विभाग	–	–	1*	–	–	–	–	–	–
15	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	–	–	–	–	–	1	–	–
16	बालरोग विभाग	–	–	–	–	–	–	–	1	1
17	बायोकेमेस्ट्री विभाग	–	–	1	–	–	–	–	–	1
18	माइकोबायोलॉजी विभाग	–	–	–	–	–	–	–	1	1*
19	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	–	1	–	–	–	1	1	–	–
20	रेडियोथेरेपी विभाग	–	–	1	–	1	–	–	–	–
21	साइकियाट्री विभाग (मनोरोग विभाग)	1	–	–	–	–	1	–	–	1

नियम व शर्तें–

01. चयनित संविदा अभ्यथियों को सामान्य राजकीय सेवा (संविदा) नियमावली तथा शासन की नीतियो एवं निर्धारित नियमो का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
02. इस साक्षात्कर हेतु कोई भी यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा, शासन द्वारा नियुक्ति किये जाने पर संविदा पद हेतु नियत मानदेय/वेतन देय होगा।
03. चयन के सम्बन्ध में चयन समिति/शासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान होगा, तथा चयन समिति को आवश्यकतानुसार किसी भी बिना किसी पूर्व सूचना के विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
04. चयन/नियुक्ति कि प्रक्रिया नियमानुसार आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार ही पूर्ण की जायेगी किन्तु आरक्षण रोस्टर के सम्बन्धित भविष्य में शासन से यदि कोई अन्य निर्देश प्राप्त होते हैं, तो चयन की प्रक्रिया उक्त निर्देशो के अनुसार ही सम्पादित/निर्धारित कि जायेगी।
05. संविदा चिकित्सा शिक्षको की नियुक्ति से सम्बंधित निर्गत शासनादेश दिनांक–10.06.2020 के अनुसार निर्धारित अधिकतम उम्र (60, 64, 68 वर्ष) का पालन अनिवार्य होगा, एम0डी0/एम0एस0 अभ्यर्थी का एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 में स्थाई पंजीकरण होना अनिवार्य हैं।
06. अभ्यर्थी कि नियुक्ति संविदा के आधार पर एक वर्ष अथवा विज्ञापित पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये ही होगी। इसके उपरान्त अभ्यर्थी चयनित पद पर स्थायीकरण, नियमितीकरण अथवा शासनादेश के विरूद्ध का दावा नही कर सकेगा।
07. पदो की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ सकती है, जिसके लिये शासन एवं संस्था को पूर्ण अधिकार होगा। कतिपय विभागों के रिक्त पदो हेतु पूर्व में प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, चयन/प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन हैं, यदि उक्त पदों पर नियुक्ति आदेश शासन द्वारा निर्गत किया जाता हैं, तो उन पदों पर पुनः चयन/भर्ती नही होगी एवं वह पद स्वतः शून्य माने जायेगें।
08. आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान कि जायेगी।
09. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक कि सेवायें नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने/महानिदेशक से सेवा बाण्ड के आधार पर चयनित चिकित्सा शिक्षको के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है। संविदा छोड़ने की स्थिति में 01 माह का नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का वेतन/मानदेय जमा कराना होगा।
10. अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) का प्रमाणपत्र दिनांक–01.01.2025 के पश्चात का ही मान्य होगा।
11. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नही करेंगें।
12. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षको को प्राईवेट प्रक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।

अभ्युक्ति:– 01–अनारक्षित कॉलम में दशाये गये स्टार चिन्ह को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये हैं।

(डा0 अरविन्द त्रिवेदी)
प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज